न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 05/22 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या 2022/25

उनवान

1. मनोज कुमार पुत्र महेश जाति ठाकुर निवासी ग्राम कूकरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर॥

..........................अपीलांट॥

बनाम

1. सत्येन्द्र सिंह पुत्र महताब सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कूकरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर॥

..............................असल रैस्पोंडेन्ट

2. जीतेन्द्र } पुत्रगण महेश } जाति ठाकुर निवासी ग्राम कूकरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर॥
3. हरवेन्द्र }
4. बैकुण्ठी पुत्री ब्रजेन्द्र सिंह
5. महेश पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ बहैसियत लैण्ड होल्डर जिला धौलपुर॥

..............................तरतीबी रैस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्याय0 उपखंड अधिकारी सैंपऊ दि0 05.09.2019 प्र.सं. 71/2011 उनवानी सत्येन्द्र सिंह बनाम जीतेन्द्र॥

उपस्थित :-

1. श्री निशान्त भार्गव वकील अपीलांट।
2. श्री योगेश शर्मा वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक-24.10.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण/तरतीबी रैस्पो0 एवं अपीलान्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के पूर्व खातेदार कृषक केसर सिंह व देवी सिंह व बिजेन्द्र सिंह थे। जिनमें आपस में जरिये अदालत बंटवारा होकर खसरा नम्बर 722/540 रकबा 01 बिस्वा के राम सिंह, 723/540 रकबा 01 बिस्वा के देवी सिंह व

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खसरा नम्बर 724/540 रकवा 01 विस्वा के विजेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार हुये। खसरा नम्बर 540/1 रकवा 04 विस्वा में से बिजेन्द्र सिंह ने अपने 1/3 भाग के खातेदारी अधिकार वादी असल रैस्पो0 राजेन्द्र सिंह को विक्रय कर दिया। इस प्रकार वादी असल रैस्पो0 विवादित आराजी में 1/3 भाग का खातेदार कृषक हुआ। विवादित आराजी के संबंध में विजेन्द्र सिंह, केशव सिंह व देवी सिंह ने आपस में बँटवारे हेतु वाद दायर किया। जिसमें वादी असल रैस्पो0 को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा आपस में साज करके गुपचुप तरीके से डिक्री हासिल कर ली। बिजेन्द्र सिंह का देहान्त हो गया उसके वारिस उसका पुत्र महेश व पुत्री बैंकुण्टी हुयी। बिजेन्द्र सिंह के मरने के बाद विरासत का नामान्तकरण स्वीकार कर लिया गया। जबकि बिजेन्द्र सिंह अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपना हक विक्रय कर गये थे तथा वादी असल रैस्पो0 उनका विधिक प्रतिनिधि था। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादी तरतीवी रैस्पो0 व अपीलाण्ट वादी असल रैस्पो0 के कब्जे में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 पक्षकार मुकदमा थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर दावा वादी असल रैस्पो0 डिक्री कर दिया। मनीष कुमार अपीलाण्ट को दावा एवं अपीलाधीन आदेश में नाबालिग दर्शाया हुआ है। अतः असल रैस्पो0 स्वयं इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि अपीलाण्ट नाबालिग था। नियमानुसार असल रैस्पो0 को नाबालिग के हितो की सुरक्षा हेतु जीएल नियुक्त करवाना चाहिये था, जो नहीं हुआ एवं नाबालिग के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री जारी हो गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है एवं नाबालिग के विरूद्ध बिना जीएल नियुक्त कराये पारित डिक्री शून्य है एवं ऐसे शून्य निर्णय व डिक्री को कभी भी चुनौती दी जा सकती है उसकी कोई मियाद नहीं होती है। अतः मियाद के बिन्दू को क्षमा करते हुये अपील अपीलाण्ट को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। आगे कथन किया कि पूर्ववर्ती एक वाद केशव सिंह बनाम देवी सिंह और चला जिसमें राजेन्द्र सिंह असल रैस्पो0 ने पक्षकार मुकदमा बनने का आवेदन दिया। पूर्ववर्ती वाद दिनांक 29.05.2007 को निर्णित हो गया। जिसकी अपील राजेन्द्र सिंह ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जो दिनांक 21.12.2012 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गयी। पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 29.05.2007 आदिनांक तक प्रभावी है, तो फिर असल रैस्पो0 राजेन्द्र सिंह को पुनः स्वत्व घोषणा का वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लगेगा। अपीलाण्ट विवादित आराजी के आदिनांक तक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। असल रैस्पो0 का विक्रय पत्र सन् 2004 का है एवं उसका आदिनांक तक नामान्तकरण नहीं खोला जा सका है। एक रिकार्डेड खातेदार का ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त माना जावेगा। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2021 पेज 635,

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2007 पेज 83, 2023 पेज 667, 2018 पेज 42, आरआरटी 2018–19 पेज 145, 2024 (1) पेज 11, 2023(2) पेज 1115, 2012(1) पेज 137, 2011(1) पेज 603, 2020(2) पेज 791, 2008(2) पेज 1183 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। असल रैस्पो0 ने दिनांक 10.03.2004 को विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा विजेन्द्र सिंह से क्रय किया है एवं 1/3 हिस्से का खातेदार है। अपीलाण्ट मनीष, विजेन्द्र सिंह के पुत्र का पुत्र है। विक्रेता के भूमि विक्रय करने के बाद, कोई भूमि व स्वत्व शेष नहीं रहता है। अपीलाण्ट ने अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं मियाद को क्षमा करने हेतु कोई युक्तियुक्त एवं तर्क संगत कारण भी स्पष्ट नहीं किये हैं। अपील सिर्फ मनीष द्वारा ही प्रस्तुत की गयी है। मनीष अपनी नाबालिगी का फायदा उठाना चाहता है। भाई, पिता भी दावे में पक्षकार थे एवं उनकी अधीनस्थ न्यायालय में तामील हुयी है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2011(1) पेज 159, 421, 2011(2) पेज 851, 2012(1) पेज 101, 2015(1) पेज 233, 2012(2) पेज 1177, 2013(2) पेज 1089, 2009–10 पेज 535, 2016–17 पेज 631, डीएनजे 2024(1) पेज 681, 2023(2) पेज 1410 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.03.2022 को लगभग 2 वर्ष 6 माह बाद प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि प्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही हुयी है एवं प्रार्थी तत्समय अवयस्क था। इस कारण अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। सर्वप्रथम अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपील दायर करने से एक सप्ताह पूर्व तब हुयी जब असल रैस्पो0 जबरन विवादित आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गयी। तत्पश्चात् अपीलाण्ट ने नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। हमने गौर किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। वैसे भी अनेको न्यायिक दृष्टान्तो में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि मियाद जैसे बिन्दू पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, गुणावगुण पर निर्णय पारित करना वांछनीय रहता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

6. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2004 से असल रैस्पो0 राजेन्द्र सिंह द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 724/540 रकवा 1 विस्वा को विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार बिजेन्द्र सिंह से क्रय किया है। उक्त वयनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कोई कार्यवाही अपीलाण्ट द्वारा की गयी हो। ऐसा भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्धा नहीं है। विवादित आराजी के असल रैस्पो0 सद्भावी क्रेता हैं। अतः उक्त वयनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना, अपीलाण्ट का ना तो विवादित आराजी में

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कोई स्वत्व बनता है एवं ना ही कोई लाभ पहुँचता है। जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय में उनके नाबालिग होने एवं जीएल नियुक्त नहीं कराने का प्रश्न है। अपीलाण्ट को हस्तगत अपील में पूर्ण सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उक्त आपत्ति स्वतः सारहीन हो जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2019 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर